

# ‘पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे पिछले 1० वर्षों में 8०० घर बने कैसे?’

हाईकोर्ट ने 12 अगस्त की अगली सुनवाई पर जेडीए के ज़ोन18-19 में गत दस वर्षों में पदास्थापित रहे प्रवर्तन अधिकारियों की सूची और उनके मौजूदा पद का ब्यौरा मांगा

**-चादवेन्द्र शर्मा-**  
जयपुर, 30 जुलाई। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में हाईटेंशन लाइन के नीचे 800 से ज्यादा घर और 200 दुकानें बने होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने जेडीए के अधिकवक्ता को कहा है कि जेडीए के पीआरएन ज़ोन 18 व 19 में बोते 1० साल में तैनात हुए अफसरों का विवरण और उनके मौजूदा पदस्थापन की जगह भी बताए।

इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह 12 अगस्त तक शपथ पत्र पेश कर प्रवर्तन अधिकारी का बयान सत्यापित करें कि यहां हाईटेंशन लाइनों के नीचे बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो गए हैं। एक्टिंग सीजे एस.पी. शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश साहेब सिंह

■ जेडीए की ओर से अदालत में कहा गया कि, अगली सुनवाई पर अधिकारियों की जानकारी के साथ इन अतिक्रमणों की फोटो सहित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करेंगे।

■ जेडीए प्रशासन ने माना कि अजमेर रोड से वंदे मातरम् रोड तक करीब डेढ़ किमी. क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन कॉरिडोर में 800 मकान व 200 दुकानें बनी हुई हैं, इनमें से 206 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है।

की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। साहेब सिंह की ओर से अदालत में अधिवक्ता रामरख शर्मा पेश हुए थे। सुनवाई के दौरान जेडीए के स्थानीय प्रवर्तन अधिकारी गंगाराम अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि उन्होंने गत 24 अप्रैल को ही कार्यभार संभाला है। जबकि पृथ्वीराज नगर क्षेत्र

लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। इसके साथ-साथ मौके पर हुए नए अतिक्रमणों को तत्काल प्रभाव से हटایा जा रहा है। अजमेर रोड से वंदे मातरम् रोड तक करीब डेढ़ किमी एचटी लाइन कॉरिडोर में कराए सर्वे में करीब 8०0 मकान व 2०0 दुकान प्रभावित पाई गई हैं। मौजूदा प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में कोई बड़ा नया अतिक्रमण नहीं हुआ है।

इस पर अदालत ने 1० साल में यहां तैनात प्रवर्तन अधिकारियों की विस्तृत जानकारी मांगते हुए जेडीए को मौजूदा हालात की रिपोर्ट देने को कहा है। जनहित याचिका में अधिवक्ता रामरख शर्मा ने बताया कि दोनों जेोन में हाईटेंशन लाइन के दोनों ओर 6० फीट की सेक्टर रोड है। कई लोगों ने यहां 3० फीट तक अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जेडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की।

## वंदे मातरम् विधेयक लोकसभा से भी पारित

नई दिल्ली, 30 जुलाई। लोकसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2०26 को शोर-शराबे के बीच गुरुवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक एक दिन पहले ही राज्यसभा से पारित हुआ था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम् को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण और सम्मान प्रदान करना है।

सरकार का कहना है कि यह विधेयक भारत की सांस्कृतिक विरासत,

■ यह विधेयक ‘वंदे मातरम्’ को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाओं को सशक्त करेगा। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब दिया, जिसके बाद विधेयक पारित कर दिया गया और कार्रवाईही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राय ने कहा कि यह केवल विधायी संशोधन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति देश की प्रतिबद्धता है।

## दिल्ली सरकार ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
आंखों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

याचिका में कहा गया है कि पैलेट गन को भले ही कम घातक हथियार बताया जाता हो, लेकिन इससे बड़ी संख्या में घातु के छरें निकलते हैं। इससे आंखों और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान का खतरा रहता है। पैलेट गन का इस्तेमाल संविधान के तहत न्यायसंगत बल प्रयोग की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

## आठ जिलों ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
उल्लेखनीय है कि लोक अदालतें विवादों के त्वरित और किफायती समाधान की व्यवस्था हैं। इसमें आपसी सहमति से निर्णय किए जाते हैं, जिससे आमजन के समय और धन दोनों की बचत होती है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रावण मास के प्रथम दिन मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि एवं आमजन के सुखमय जीवन की कामना की।

# एक तरफ ... खड़गे की मनुस्मृति पर टिप्पणी ने राज्यसभा में हंगामा मचाया

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
की शिकायत भी नहीं करती।

इन टिप्पणियों के बाद भारी आक्रोश फैल गया। केरल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरएसएस ने आधिकारिक तौर पर इस बयान से खुद को अलग करते हुए कहा कि ये मोहनदास के निजी विचार हैं तथा संघ ने उनकी निंदा की।

वहीं भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर जेन जेड प्रदर्शनकारियों की आलोचना करते हुए उन्हें “जनरेशन गट” कहा। उन्होंने उनके वीडियो को “उल्टी आने लायक” और “बदसूती से भरा हुआ” बताया तथा उनकी तुलना दंगशी फैलाने वाले तिलचट्टों से करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए।

## राजस्थान ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

## दीपके ने गृह मंत्री ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
इससे पहले अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया गया और उनका खून बहाया गया, वह गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बिना संभव नहीं था। दीपके की यह मांग कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शाह पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करने के एक दिन बाद आई। दीपके ने कहा कि वह राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, “मैं भी मानता हूं कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए।”

सीजेपी को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए दीपके ने कहा, “यदि गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में होने के बावजूद हमें विदेशी फंड मिल रहा है, तो यह भी उनकी विफलता है। फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसी स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।”

दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराने के आरोपों को खारिज करते हुए दीपके ने कहा, “यदि गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथ में होने के बावजूद हमें विदेशी फंड मिल रहा है, तो यह भी उनकी विफलता है। फिर आप किस तरह के चाणक्य हैं? ऐसी स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।”

हिंसा के जवाब में की गई। उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस ने ही पत्थरबाजी करवाई। भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने पत्थर फेंके और इसका दोष छात्रों पर मढ़ दिया गया।” दीपके ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने उन्हें और उनके परिवार को पार्टी में शामिल होने के लिए धमकाया। उन्होंने कहा, “मुझे धमकी दी गई। मेरे माता-पिता को धमकी दी गई है कि वे मुझे भी भाजपा में शामिल होने के लिए राजी करें। हमें कहा गया कि या तो पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो।” वहीं, भाजपा नेता केशव उपाध्ये ने दीपके पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि उन्हें राहुल गांधी की राह पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “वे एक आंदोलन का चेहरा था। भाजपा सरकार ने उनकी मांगें मानते हुए पेपर लौक के खिलाफ कानून बनाया और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मन् प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया। उन्हें इसका सम्मान करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वे राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें राहुल गांधी की लाइन पर चलना है तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए।”

भाजपा ने दीपके और उनके परिवार को धमकी दिए जाने के सभी आरोपों से इनकार किया।

■ खड़गे की टिप्पणी पर इतना अधिक विरोध व हंगामा हुआ कि राज्यसभा की बैठक तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका, जिसके कारण राज्यसभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मनुस्मृति के बारे में की गई

टिप्पणी ने विवाद को बढ़ा दिया। खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति ने शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई।

जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देती है, राज्यसभा में भारी हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने सदन में “माफी माफी” के नारे लगाने शुरू कर दिए, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खड़गे द्वारा की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताई।

इस पर स्पीकर ने कहा कि खड़गे की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटा दी जाएंगी।

# सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी तीन प्रमुख शिखर सम्मेलनों में शामिल होंगे

इसकी शुरुआत होगी किर्गिस्तान में होने जा रहे एससीओ समिट से, जिसमें शामिल होने प्र.मंत्री मोदी किर्गिस्तान जाएंगे

■ एससीओ (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन) में चीन, रूस, भारत, ईरान, बेलारूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

■ एससीओ समिट के बाद दिल्ली में ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा, उसके बाद प्र.मंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ वे यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली को संबोधित करेंगे।

करेगा। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भी संबोधित करेंगे। यह व्यस्त कार्यक्रम दिखाता है कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच, नई दिल्ली अपने अंतरराष्ट्रीय संपर्क और कूटनीतिक पहुंच को सक्रिय रूप से मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। यह व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रम 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
समय तक मंत्री बने रहने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका इस संवैधानिक प्रश्न से जुड़ी है कि राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य न होने के बावजूद, दीपक प्रकाश का बिहार के पंचायती राज मंत्री के रूप में बने रहना संविधान के अनुरूप है या नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और व्हिसलब्लोअर राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएन) पर नोटिस जारी किया था। याचिका में बिहार में नई सरकार बनने के बाद दीपक प्रकाश की मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार,

दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, जबकि उस समय भी वे राज्य विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। 15 अप्रैल को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो गई थी। इसके बाद 7 मई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में दीपक प्रकाश को फिर से पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया गया, जबकि तब भी वे न तो राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं विधान परिषद के। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, कोई भी

ऐसा व्यक्ति जो विधायक नहीं है, अधिकतम छह महीने तक मंत्री रह सकता है। इस अवधि के भीतर उर्ध्व राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य है। अनुच्छेद 164(4) में कहा गया है— “यदि कोई मंत्री लगातार छह महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा।” दीपक प्रकाश लगातार छह महीने तक मंत्री नहीं रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में वे 4 महीने 26 दिन मंत्री रहे। इसके बाद 22 दिनों का अंतर रहा और फिर 7 मई से उन्हें दोबारा उत्ती मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया। इस तरह दोनों कार्यकालों को मिलाकर उनका कुल कार्यकाल छह महीने से अधिक हो चुका है।

## ऐसा लगता है, ईरान ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )  
व्यक्त किया था और संभवतः यही ईरान की हालिया कार्रवाइयों की सबसे बड़ी वजह थी। ईरान ने जीपीएस बंद कर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया था, जिसके बाद उन्हें कुछ नुकसान हुआ और उन्हें लौटना पड़ा।

वास्तव में, समुद्र के उस पार स्थित अपने पड़ोसी ओमान के साथ ईरान के गहरे मतभेद हैं। ओमान चाहता है कि यह समुद्री मार्ग सभी के लिए खुला रहे, जबकि ईरान उस पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। इस मुद्दे पर सभी खाड़ी देश ओमान के पक्ष में हैं, क्योंकि यदि स्थायी नियंत्रण ईरान को मिल जाता है, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं ईरान पर निर्भर हो जाएंगी।

दूसरी ओर, ईरान ने होर्मुज पर नियंत्रण को अपनी प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त का विषय बना लिया है। युद्ध से पहले यह जलमार्ग सभी देशों के लिए समान रूप से खुला था और हर राष्ट्र को यहाँ से आवागमन का अधिकार प्राप्त था। लेकिन युद्ध के बाद ईरान को यह एहसास हुआ कि वह इस संकरे समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर न केवल अपनी कूटनीतिक ताकत बढ़ा सकता है, बल्कि आय का एक स्थायी स्रोत भी हासिल कर सकता है। यदि यह शक्ति बनने से छिन जाती है, तो यह संदेश जाएगा कि ईरान

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

बताया कि एडीशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर तैनात अभियुक्त अनिल मिश्रा उसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वह उनसे जाकर मिले। इस दौरान मार्च माह में वह भोपाल जाकर अभियुक्त से मिली। अभियुक्त ने पति की मदद का प्रलोभन देकर ऑफिसर मैस में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा, अभियुक्त ने उससे कई बार अपने बैंक खाते में रुपए भी ट्रांसफर कराए। इसके साथ ही अभियुक्त ने उसके साथ जोधपुर और मुम्बई सहित अन्य जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। अप्रैल, 2०14 में अभियुक्त ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी अश्लीलता की।

# रामगढ़ बाँध के बहाव क्षेत्र के सभी एनीकट हटाएं- हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बहाव क्षेत्र में एक भी सबमर्सिबल पंप नहीं होना चाहिए

■ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करके यह बताने को कहा है कि कैचमेंट एरिया में किन लोगों ने अतिक्रमण किए हैं। अदालत ने कैचमेंट एरिया की जमीन और वहाँ बने फार्म हाउस व होटलों का ब्यौरा भी मांगा।

कलेक्टर को 13 अगस्त की रिपोर्ट पेश कर बताने को कहा है कि रामगढ़ बांध में पानी लाने वाली नदियों में पानी बर्यों नहीं आ पा रहा। अदालती आदेश के पालन में जयपुर कलेक्टर वीसी के जरिए उपस्थित हुए। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण के संबंध में आमेर एसडीओ का शपथ पत्र पेश किया और बताया कि कुल 625 रेफरेंस थे, जिनमें से 404 निस्तारित हो चुके हैं और बाकी लंबित चल रहे हैं। जिन केंसों की निस्तारण हो चुका है, उनकी जमीन भी राज्य सरकार में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा, बांध मामले में दो कमेटीयां बनी हुई हैं। एक कमेटी

की 14 व दूसरी की 17 मीटिंग हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने एजी से कहा कि वे शपथ पत्र से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार एक विस्तृत शपथ पत्र पेश कर बताए कि कितने अतिक्रमण हटाए थे और वे किसके थे। इस दौरान न्याय मित्र डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि रामगढ़ बांध में पानी लाने का मुख्य जरिया बाणगांग नदी है, जो विराटनगर, शाहपुर व अन्य जगहों से होती हुई बांध में पानी लाती है। इसके बहाव क्षेत्र में कई फार्म हाउस, रिसॉर्ट व होटल बन गए हैं और बहाव क्षेत्र में बने एनीकटों के पीछे भी मिट्टी जमा हो गई है, जिससे पानी का बहाव क्षेत्र में फ्लो नहीं रहता।

# ‘बिना “लोगो” व विज्ञापन वाले कैरीबैग का भुगतान वसूल सकते हैं दुकानदार’

राज्य उपभोक्ता आयोग ने डी-मार्ट रेवन्यू मार्केट लि. बनाम शेखर कुमार स्वर्णकार व कपिल देव सोनी के खिलाफ दायर 2 अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए

■ डी-मार्ट की ओर से अधिवक्ता हेमांग कुमावत ने बताया कि, उनकी नीति भी है कि, अगर उपभोक्ता कैरीबैग नहीं रखना चाहते तो कैरीबैग लौटा दें और भुगतान वापस कर दिया जायेगा। परंतु उपभोक्ताओं ने ना तो यह बैग लौटाया और ना ही दिए जाने की शिकायत की।

सामान डी मार्ट से 25 जुलाई 2019 को खरीदा था, जब उन्होंने सामान लिया तो एक कैरीबैग भी लिया, जिसका अतिरिक्त शुल्क 6 रुपए डीमार्ट ने उनके बिल में जोड़ा था।

दूसरी ओर कपिल देव सोनी ने 2 अक्टूबर 2019 को 846.72 रुपए का सामान खरीदा था, उनसे भी 5.50 रुपए कैरीबैग के वसूले गए थे। कपिल देव ने इससे पहले 21 मई 2019 को जब 728 रुपए का सामान खरीदा था, तब उनसे कैरीबैग के 6 रुपए लिए गए

थे। इन तीनों मामलों में उपभोक्ता ने पहले उपभोक्ता जिला मंच का दरवाजा खटखटाया, जहां से उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला हुआ और तीनों मामलों में डी मार्ट को 3-3 हजार रुपए प्रति मामले के मानसिक उत्पीड़न के बदले और 2000 रुपए कानूनी खर्च के लिए भुगतान के आदेश दिए थे। आदेश 30 जून 2025 को दिए गए थे।

जिला उपभोक्ता मंच के इस फैसले के विरोध में डी-मार्ट की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की गई,

जहां उपभोक्ता आयोग को बताया गया कि जो कैरीबैग उपभोक्ताओं को दिए गए थे, उनमें कोई विज्ञापन लोगो नहीं थे, बल्कि एक बार कोड था, जिस पर बैग की कीमत अंकित थी। डी-मार्ट की ओर से यह भी बताया गया कि उनकी नीति भी है कि अगर उपभोक्ता कैरीबैग नहीं रखना चाहते तो कैरीबैग लौटा दें और भुगतान वापस कर दिया जायेगा। परंतु उपभोक्ताओं ने न तो यह बैग लौटाया और न यह शिकायत दी थी कि उन्हें जबरन यह कैरीबैग क्यों दिया जा रहा है।

इस पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने कानून को देखते हुए फैसला दिया है कि दुकानदार, उपभोक्ताओं से कानूनी तौर पर उन “कैरीबैग” का भुगतान ले सकता है, जिन पर कोई विज्ञापन अथवा किसी कंपनी का “लोगो” नहीं छपा हुआ हो।

## मध्य प्रदेश ...